न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 09/2018 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. खैरातीलाल पुत्र मलखान
2. राजेश पुत्र दयाराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी राजाहेड़ा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र सांवल्या जाति गुर्जर निवासी राजाहेड़ा तहसील बसवा जिला दौसां
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।
3. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दिनांक 21.2.1976 जिसके तहत वाके ग्राम राजाहेड़ा में स्थित झाडीदार वन खड्डेदार भूमि खसरा नम्बर 89 रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा बंजड़ बेहड़ में से 5 बीघा भूमि का अप्रार्थी सं01 को आवंटन किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री मिट्ठनलाल गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 11.7.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवंटन सलाहकार समिति एव उपखण्ड अधिकारी ने आवंटन रूल्स की अवहेलना करके फॉड व धोखे से आवंटन योग्य भूमि नहीं होने के बावजूद भी दिनांक 21.2.1976 को वाके ग्राम राजाहेड़ा तहसील बसवा में स्थित झाडीदार वन खड्डेदार भूमि खसरा नम्बर 89 रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा बंजड़ बीहड़ में से 5 बीघा भूमि का अप्रार्थी सं01 को आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) भू आवंटन नियम प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.1976 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि बाबत बिना कोई जांच रिपोर्ट लिये दिनांक 21.02.1976 को भूमि ख.न. 89 में से 05 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं. 01 को किया जाना दिखा दिया गया है। आवंटन समिति द्वारा कोई सिफारिश नही की गई है। आवंटन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर दिनांक 21.02.75 को किये गये है। उक्त दिनांक

अति० जिला कलक्टर
दौसा

को आवेदन पत्र भी पेश नही हुआ था। उक्त आवंटित भूमि आवंटन योग्य भूमि नही थी। क्योकि उक्त भूमि झाडिदार वन, खड्डेदार भूमि, बंजर बेहड भूमि है। कानूनन उक्त भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है। ख.न. 89 का रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा है। उक्त भूमि मे से 05 बीघा भूमि कहां आवंटित की गई है। यह आवंटन आदेश नही दर्शाया गया है। आवंटन आदेश दिनांक 21.02.1976 का 29 वर्ष तक कोई नामान्तरकरण नही खोला गया है। आवंटी का आवंटन से लेकर आज तक उक्त भूमि का कब्जा नही रहा है। न ही आवंटी को कब्जा सम्भलाया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के बुर्जग व अन्य लोगो का कब्जा आवंटन से भी पूर्व से चला आ रहा है। जिस पर प्रार्थीगण व अन्य लोग अपने पशुओं को चराते है। आवंटन आदेश की प्रार्थीगण को जानकारी नही थी। आवंटन आदेश के बारे मे प्रार्थीगण ने काफी तलाश करवाया किन्तु कही से नकल नही मिली। दिनांक 26.02.2018 को प्रार्थीगण की जानकारी मे आया की उक्त आवंटन पत्रावली श्रीमान के न्यायालय में अन्य मुकदमें में आयी हुई है। तब आवंटन आदेश की नकल दिनांक 28.02.2018 को ली गई। तब सर्वप्रथम उक्त आवंटन की प्रार्थीगण को जानकारी हुई। दफा–5 का प्रार्थना पत्र संलग्न किया हुआ है। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 21.02.1976 को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट को भूमि खसरा नं0 89 में से दिनांक 21.2.76 को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जिसकी जानकारी आवंटन के समय से ही प्रार्थी को भंली–भांति रही है। उक्त ख.न. 89 में से अन्य व्यक्तियों को भी भूमि आवंटित की गई है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 01 से व्यक्तिशः रंजिश रखते हैं इसलिये हैरान परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया है। जो भूमि आवंटन के 40 वर्ष पश्चात पेश किया गया है। प्रश्नगत आवंटित भूमि किसी भी तरह से प्रतिबंधित भूमि नहीं है। प्रार्थना पत्र के निर्णय से प्रार्थीगण के किसी प्रकार से हक व अधिकार प्रभावित नही होते है। उक्त आवंटित भूमि के नामान्तरकरण नामान्तरकरण खुलने में देरी होने का कारण पहले जिला कलक्टर महोदय को शिकायत की गई थी जिसकी जांच होने के उपरान्त गैरखातेदारी अधिकार दिये गये हैं। अप्रार्थी सं. 01 का कब्जा आवंटन के समय से ही भूमि विवादग्रस्त पर कब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है। उक्त आवंटन आदेश के परिपेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा खोले गये नामान्तरकरण गैर खातेदारी व खातेदारी नामान्तरकरण के विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 70 दिनांक 02.03.2005 एवं नामान्तरकरण सं. 98 दिनांक 31.10.2006 ग्राम राजाहेडा तहसील बसवा के विरूद्ध अपीलान्ट रामप्रताप पुत्र मलखान गुर्जर निवासी राजाहेडा द्वारा अपीलें पेश की गई है। जिनमें अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत भूमि का अप्रार्थी सं. 01 को आवंटन ही नही होना व्यक्त किया गया है एवं अब आवंटन आदेश दिनांक 21.02.1976 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) पेश कर दिया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से बार–बार अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय मे पेश किये जा रहे है। प्रार्थी के किसी भी प्रकार से हक व अधिकार प्रभावित नही होते है। एक ओर प्रार्थी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रश्नगत भूमि आवंटन योग्य नही है तथा दूसरी ओर प्रार्थी द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

उक्त भूमि पर अपने बुर्जगान के समय से कब्जा होना व्यक्त किया है। जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नही किया है कि उक्त कब्जा कैसे एवं किस हक व अधिकार से होना बताते है। जबकि प्रार्थी को प्रश्नगत भूमि का आवंटन दिनांक 21.02.1976 को हो चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन करवाने हेतु कोई आवेदन पत्र तत्समय पेश किया गया हो तो उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये–

1. आर.आर.डी. 2017 पेज 441
2. आर.आर.डी. 2017 पेज 558
3. आर.आर.डी. 2003 पेज 190
4. आर.आर.डी. 2007 पेज 346

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 को खसरा नं0 89 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 21.2.1976 को किया गया है। जिसके परिपेक्ष्य में नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 02.03.2005 एवं 98 दिनांक 31.10.2006 तहसीलदार बसवा द्वारा स्वीकृत किया गया है। किन्तु आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) 40 वर्ष भी अधिक समय पश्चात पेश किया गया है तथा नामांतरकरण खोले जाने के बाद भी 8 वर्ष पश्चात अपीलें पेश की गई है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर वर्षों से कब्जा होना व्यक्त किया है किन्तु तत्समय उक्त प्रश्नगत भूमि को आवंटन करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो ऐसा भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि भूमि आवंटन में तुलनात्मक रूप से किसी प्रकार की अनियमितता हुई हो। उक्त खसरा नम्बर में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी आवंटन होना किन्तु प्रार्थी द्वारा अन्य आवंटियों के आवंटन आदेश के विरूद्ध कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जाना व्यक्त करते हुए व्यक्तिशः रंजिश होना बताया है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के लिये कोई अनुतोष भी नहीं मांगा है। प्रार्थी के किसी प्रकार के हक व अधिकार भी प्रभावित नहीं होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत भूमि आवंटन आदेश दिनांक 21.2.1976 ग्राम राजाहेडा तहसील बसवा बहक अप्रार्थी सं01 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन रूल्स खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 11.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official